न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–446/2013
CIS NO. TS 495/2018

बीबी जमिला खातुन..वादिनी

बनाम

शेख मुस्ताक एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.03.2024	वादिनी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादिनी की तरफ से दिये गये आवेदन अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 07.02.2024 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 07.02.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी के वादपत्र के मद सं0–02 वाली भूमि पर पक्का निर्माण के प्रयास के कारण वादपत्र के मद सं0–02 वाली भूमि के यथास्थिति जाँच पडताल करने हेतु अधिवक्ता आयुक्त के नियुक्ति हेतु दिनांक 06.01.2024 को आदेश 26 नियम 09 के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन पत्र के अंत में स्थल निरीक्षण हेतु भूमि के विवरण में टाइपराईटर की गलती से खेसरा–384 के जगह पर खेसरा–385 हो गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादपत्र के मद सं0–02 वाली अंकित भूमि पर ही जाँच प्रतिवेदन लेने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। वादिनी द्वारा दिनांक 06.01.2024 को आदेश 26 नियम 09 के अंतर्गत अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु आवेदन दिया गया। जिसमें गलती से खेसरा–384 के जगह पर खेसरा–385 टाईप हो गया। अतः वादिनी का आवेदन दिनांक 07.02.2024 स्वीकार कर निर्देश दिया जाता है कि आदेश 26 नियम 09 का प्रतिवेदन मद सं0–02 वाली भूमि पर ही माना जाय।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–446/2013
CIS NO. TS 495/2018

बीबी जमिला खातुन...वादिनी

बनाम

शेख मुस्ताक एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 28.03.2024	आगामी दिनांक 16.04.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	